

(भारत के राजपत्र के भाग 1, खण्ड 2 में प्रकाशनार्थ)

संख्या-13017/14/2015-अ.भा.से.(I)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय


(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक, 25/26 मई, 2015

अधिसूचना

केन्द्र सरकार एतद्वारा, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नागालैंड तथा महाराष्ट्र सरकारों की सहमति से डॉ. (सुश्री) कादम्बरी भगत, भारतीय प्रशासनिक सेवा (एनएल:10) की श्री बालकवादे शैलेश उमेश, अ.भा.से. (एमएच:10) से विवाह होने के आधार पर नागालैंड संवर्ग से महाराष्ट्र संवर्ग में स्थानांतरित करती है।


(एस. एस. शुक्ला)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद (हरियाणा)